6/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील अभिलार्थी उपस्थित प्रत्यर्थी सं० 5 व 7 के अलावा अन्य के सम्मन प्रोसेस तामील से प्राप्त नहीं हुए है। प्रत्यर्थी सं० 1 से 4 के सम्मन पुनः पेश करे तो जारी हो। प्रकरण में दि० 27/6/19 को प्रत्यर्थी शिवलाल पिता रामलाल तेली की ओर से प्रार्थना पत्र मय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 शिवलाल बनाम सोहनी वाद संख्या 16 सन् 2015 के आदेशिकाओं व वाद पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ में विचाराधीन वाद संख्या 16/2015 को दिनांक 3/6/2019 को विड्रॉ कर लिए जाने से इस न्यायालय में चल रही अपील 35/2018 को खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

एवं साथ में संलग्न अधिनस्थ न्यायालय S.D.O. माण्डलगढ़ की आदेशिकाओं एवं इस न्यायालय में विचाराधीन अपील का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अपील अधिनस्थ न्यायालय में निर्णीत प्रकरण सं० प्रार्थनापत्र 9/2015 आदेश दि० 14/6/2018 अन्तर्गत धारा 212 रा० का० अधिनियम के विरुद्ध विचाराधीन है। प्रकरण तामील में विचाराधीन है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के द्वारा ग्राम जोजवा की आ० न० 1155-1156-1157-1158-1160-1161-1162 कीता 7 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा एवं आ० नं० 1171/22 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि को वाद के निस्तारण तक बेचान नहीं करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं० 16/2015 को विड्रॉ कर लिया है जिसकी पुष्टि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से जारी आदेशिका दि० 3/06/19 की प्रमाणित प्रति से होती है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 मूल वाद का भाग है। मूलवाद के अभाव में प्रार्थना पत्र 212 RTA का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। जब प्रत्यर्थीगण/वादीगण वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में जारी आदेश भी स्वत: प्रभावहीन हो जाता है। अत: प्रत्यर्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वाद के अभाव में अधिनस्थ न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	के प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 RTA प्रकरण संख्या 9/2015 आदेश दि० 14/6/2018 को प्रभावहीन घोषित किया जाता है। अपील अपीलार्थी इसी स्टेज पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (कैलाश चन्द्र लखारा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा